महिला हिंसा और धार्मिक कट्टरवाद व सांप्रदायिकता
निरन्तर अभियान व पैरवी के हुनर -
विषयगत कार्यशाला

स्थान - टेरी, गुडगाँव
दिनांक - 28 मई से 1 जून, 2007

जागोरी प्रस्तुति

बी 114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
फोन : 011 26691219, 26691220
फैक्स : 011 26691221
हैल्पलाइन : 011 26692700
ईमेल : training@jagori.org

रिपोर्ट संपादन व लेखन :
सीमा श्रीवास्तव

रिपोर्ट सज्जाः
अनुप्रिया घोष

साभार
प्रतिभागी : कार्यशाला के दौरान सत्र नोट्स व उत्साहजनक सहभागिता निभाने के लिए
आई एस डी : रिपोर्ट संकलन व टाईपिंग के लिए
मुख्य पुष्ठ चित्र : **http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA200012005?open&of=ENG-2AS**

# ‘महिला हिंसा और धार्मिक कट्टरवाद व सांप्रदायिकता’ निरन्तर अभियान व पैरवी के हुनर – विषयगत कार्यशाला 28 मई से 1 जून, 2007

## पृष्ठभूमि

आज के परिवेश में पितृसत्ता का स्वरूप धार्मिक कट्टरवाद, जाति व नस्ल के साथ भूमण्डलीकरण के गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में और भी भयावह हो गया है। आपस में मिलकर यह सभी दमनकारी व्यवस्थाएं हाशिए पर जीने वाले तबकों की स्थिति को और भी दयनीय बना रही हैं। ख़ासतौर से औरतों के लिए इस तरह का सामाजिक परिवेश उनके विकास को विपरीत दिशा में ले जा रहा है। औरतों पर बढ़ती हिंसा का स्वरूप उनके शरीर का उपभोग की वस्तु के रूप में ढलने से लेकर भुखमरी और लुप्त होते रोजगार के विकल्प के रूप में प्रत्यक्ष हमारे सामने है। घर से लेकर सड़क और सरहदों तक औरतों के अधिकारों का कभी संस्कृति, धर्म तो कभी मौलिक नागरिक की पहचान के नाम पर हनन होता आया है।

इन सारे अवरोधों के बावजूद औरतों की, चाहे वे किसी भी तबके, जाति, धर्म व समुदाय से हों, निरन्तर संघर्षशील छवि समाज में देखने को मिली है। अन्यायकारी व्यवस्थाओं को तोड़कर औरतों ने हर क्षेत्र में अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ी है। बराबरी के मौके मिलने पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है। सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में आज औरतों ने अपने दम पर न केवल जीवन में घटित समस्याओं का सामना कर विकल्प की तलाश की है बल्कि वृहत्तर समाज के अन्यायकारी ढांचों को भी ललकारा है।

इस पूरे संघर्ष के सुनहरे इतिहास में महिलाओं ने अन्य आंदोलनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम भी किया जहां पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर में जातीयता और आकांक्षाओं की लड़ाई के संदर्भ में एक ओर भूमिगत सशस्त्र गुटों को तो दूसरी ओर सैन्य बलों एवं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को चुनौती है वहीं अन्य स्थानों पर धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है।

हमारे संदर्भ में धार्मिक कट्टरवाद आज एक नए और विकृत रूप में सामने आ रहा है। ऐतिहासिक रूप से धार्मिक कट्टरवाद अभी तक समुदायों के बीच टकरावों और हिंसा के तौर पर पहचाना जाता रहा है लेकिन आज यह राजनैतिक और सरकारी संरक्षण में ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। कट्टरवाद ही नहीं, अब आतंकवाद भी इसका अभिन्न हिस्सा बन गया है। यहाँ उल्लेख आवश्यक है कि आतंकवादी किसी विशेष समुदाय का पर्याय नहीं हैं। यह कभी मुस्लिम तालिबान में देखने को मिलता है तो कभी अन्य नाम से हिंदू तालिबान नज़र आते हैं लेकिन सेक्युलर आंदोलन तभी सक्रिय होता है जब आग भड़क चुकी होती है और गुजरात जैसी घटनाएं जनसंहार में ढल जाती हैं। आग बुझी और विरोध की आवाज़ें शांत, जबकि आवश्यकता निरंतर सेक्युलर आंदोलन को आगे बढ़ाने की है। हमारी खामोशी ही कट्टरवादी सांप्रदायिक ताकतों की ऊर्जा है। यह कार्यशाला इसी दिशा में एक कदम है जो न पहला है, न आखिरी। यह एक अनंत सिलसिले की कड़ी है जो धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ जनता को लामबंद करने का एक प्रयास है।

जागोरी पिछले कई सालों से महिला व विकास कार्यशाला का आयोजन हिन्दी व अंग्रेजी में कर रही है। जिसके दौरान हमने कई संगठनों व समूहों के साथ जाति, वर्ग व अन्य दमनकारी व्यवस्थाओं से जेंडर के अंतर्सम्बन्धों को जोड़कर महिला हिंसा पर समझ बनाने की ओर काफी काम किया है। प्रयास की इसी कड़ी में इस बार **जागोरी** और **इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी** ने मिलकर **‘महिला हिंसा और धार्मिक कट्टरवाद व सांप्रदायिकता’ पर निरन्तर अभियान व पैरवी के हुनर** पर विषयगत कार्यशाला का आयोजन **28 मई से 1 जून, 2007** को किया।

**उद्देश्य**

- विश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में महिला हिंसा और धार्मिक कट्टरतावाद व सांप्रदायिकता पर समझ बनाना
- मुद्दे की संगीनता को समझकर इसपर जागरूक अभियान चलाना
- कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत नेटवर्किंग स्थापित करना

**प्रतिभागी**

विभिन्न राज्यों से आये 21 महिला व पुरूष कार्यकर्ताओं ने इस कार्यशाला में भागीदारी निभाई। दस संस्थाओं के ये प्रतिनिधि समुदायिक स्तर पर दो तीन सालों से कार्यरत हैं।

**संदर्भ व्यक्ति**

मुख्य सहजकर्ता के रूप में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी से खुर्शीद अनवर और जागोरी से सीमा श्रीवास्तव ने कार्यशाला संचालन की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा अन्य दो संदर्भ व्यक्ति सलिल मिश्र, इग्नू और कल्याणी मेनन सेन, जागोरी से ने संदर्भ व्यक्तियों की भूमिका निभाई।

# विषय रूपरेखा

| तारीख व समय | सत्र विषय | प्रक्रिया व चर्चा के मुख्य बिन्दु |
|---|---|---|
| **28 मई** | कार्यशाला पृष्ठभूमि / परिचय<br><br><br><br><br><br>हमारे परिवेश के सामाजिक तनाव – सूरते हाल | • स्वागत<br>• परिचय – संदर्भ व्यक्ति, कार्यशाला, प्रतिभागी<br>o आईस ब्रेकिंग<br>o अपेक्षाएँ, दुविधा व योगदान<br>o बुनियादी सिद्धांत<br>o उद्देश्य निरूपण<br>• प्रकृति, जिम्मेदार तत्व, मुकाबला करने वाली ताकतें, उनकी कार्यनीति |
| **29 मई** | सांप्रदायिकता और कट्टरवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि<br><br><br><br><br><br><br><br><br>सांप्रदायिकता और कट्टरवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | पिछले दिन के सत्र पर प्रतिक्रिया<br>• धर्म से आशय – व्यक्तिगत अभ्यास<br>• धर्म के तीन पक्षों वैचारिक, कर्मकांड और सहयोगी सामाजिक संरचनाओं पर सामूहिक चर्चा व विश्लेषण<br>• प्रस्तुति और समेकन<br>• कट्टरवाद को परिभाषित करना<br>• धर्म और कट्टरवाद में अंतर<br>• धर्म और कट्टरवाद के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाली शब्दावलियों की राजनीति<br><br>संदर्भ व्यक्ति – सलिल मिश्रा<br>चर्चा, प्रश्न और स्पष्टीकरण |
| **30 मई** | धार्मिक कट्टरवाद के प्रभाव महिलाओं व पुरूषों पर<br><br><br><br><br>कट्टरवाद का विश्वीकरण व पितृसत्ता से अंर्तसंबन्ध | पिछले दिन के सत्र पर प्रतिक्रिया<br>प्रभाव महिलाओं व पुरूषों पर विभिन्न संदर्भों में<br>• आम समय में<br>• तनाव/टकराव के समय<br>• तनाव/टकराव के बाद<br><br><br>संदर्भ व्यक्ति – कल्याणी मेनन सेन |
| फिल्म चर्चा – पिता, पुत्र और धर्म युद्ध फिल्म चर्चा | | |
| **31 मई** | धर्म व कट्टरवाद और महिला मुद्दे का अंर्तसंबंध | पिछले दिन के सत्र पर प्रतिक्रिया<br>• धर्म में औरतों का स्थान<br>• धर्म को चुनौति देने में महिला आंदोलन की भूमिका<br>• बड़े समूह में चर्चा |
| | भारतीय परिवेश में समन्वयक तत्व (जोड़ने वाले) | • छोटे समूह में चर्चा<br>• कट्टरवाद व सांप्रदायिकता – हमारी भूमिका<br>• भूमिका में हमारी कार्यनीति |
| फिल्म चर्चा – परजानिया फिल्म पर चर्चा | | |
| **1 जून** | अभियान की अवधारणा<br>अभियान के उपकरण<br><br>मूल्यांकन व समापन | पिछले दिन के सत्र पर प्रतिक्रिया<br>• समूह चर्चा<br>• अभियान के कुछ उपकरणों पर चर्चा व अभ्यास<br>• प्रतिभागियों के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया |

## पहला दिन

### सत्र विषय – परिचय व उद्देश्य निरूपण

सत्र के पहले दिन विभिन्न जगहों से आए प्रतिभागियों का संदर्भ व्यक्तियों द्वारा स्वागत् किया गया और प्रतिभागियों का व्यक्तिगत तथा संस्थागत परिचय कराया गया। हँलाकि कार्यशाला कि शुरूआत 28 तारीख को सुबह ही होनी थी परन्तु साथियों को कार्यशाला स्थल पहुँचने में बहुत दिक्कत आई फलस्वरूप कार्यशाला दोपहर बाद ही आरम्भ हो पाई।

संदर्भ व्यक्तियों द्वारा कार्यशाला के विषय व उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों से अपेक्षाएं जानी गई। बारी बारी से प्रतिभागियों ने कार्यशाला से अपनी अपेक्षायें सामने रखीं जिन्हें मुख्यतः तीन वर्गों में बांटकर प्रस्तुत किया गया।

| निम्न मुद्दों पर वैचारिक समझ बनाना | सामुहिक रूप से मुद्दे को अपने क्षेत्र में ले जाने हेतू गतिविधियाँ | इन गतिविधियों के कार्यस्तर पर उतारने की रणनीति क्या होगी |
|---|---|---|
| • सांप्रदायिकता<br>• महिला हिंसा<br>• धर्मवाद<br>• वैश्वीकरण<br>• अदृश्य सांप्रदायिकता<br>• आर्थिक कट्टरवाद<br>• राज्य सत्ता की कट्टरवादिता | • कार्यक्रम बनाना<br>• रणनीति तय करना<br>• नेटवर्किंग कार्यक्रम बनाना<br>• सांप्रदायिकता रोकने के उपाय | • कार्यशाला के अन्तिम दिन में इसपर बातचीत |

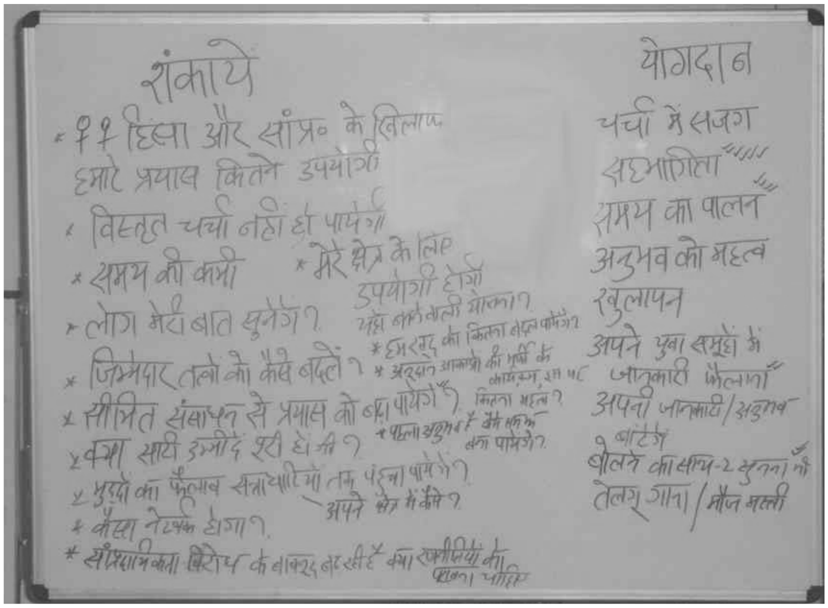


प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत की गई सारी अपेक्षाओं को पाँच दिवसीय कार्यशाला में शामिल करना असंभव था इसलिए उम्मीदों से कार्यशाला के उद्देश्य की दिशा में बढ़ते हुए संदर्भ व्यक्तियों ने स्पष्ट किया कि

**सांप्रदायिकता के कारण, उसके बदलते स्वरूप, उसके रोकथाम के उपाय आदि के साथ महिलाओं की इसमें भूमिका व उनपर इसका असर तक ही कार्यशाला को केंद्रित रखना होगा।** इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात सभी के बीच रखी गई कि कार्यशाला किसी विषय पर समझ विकसित कर पाने का एक मंच है किंतु ''क्रियान्वयन'' तो कार्यशाला समाप्ति के बाद अपने–अपने क्षेत्रों में किये जाने वाला सार्थक प्रयास है। जो कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों पर निर्भर करता है।

**कार्यशाला को सुचारू रूप से चलाने के कुछ बुनियादी सिद्धांत**

- सभी सहभागियों के अनुभव को महत्व व सम्मान
- एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता
- पूर्वाग्रहों, मान्यताओं व आस्था पर चर्चा/मंथन के लिए खुलापन
- व्यक्तिगत आक्षेप नहीं
- समय का पालन
- चर्चा में सजग व सक्रिय सहभागिता
- समूह को साथ लेकर आगे बढ़ना

**सत्र विषय – हमारे परिवेश के सामाजिक तनाव – सूरते हाल**

सत्र को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रक्रिया स्वरूप 'हमारे परिवेश की सूरते हाल' अभ्यास करवाया गया। विभिन्न प्रदेशों से आए प्रतिभागियों को उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रानुसार बाँटकर अलग–अलग समूह में अपने आस पास के सामाजिक परिवेश को चित्रों के माध्यम से दर्शाने को कहा गया।

<u>**समूह प्रस्तुति**</u>

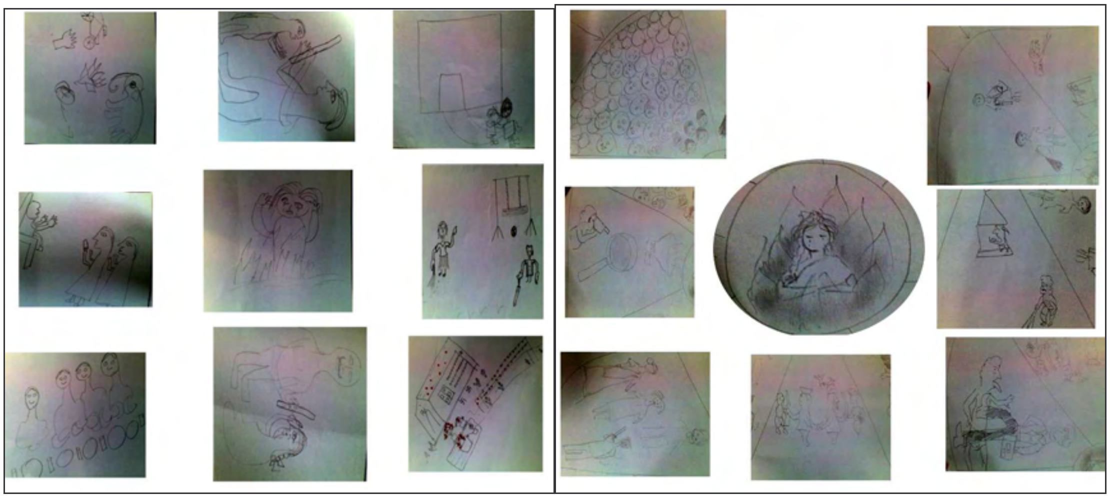

महिला हिंसा, भूमि अधिग्रहण, अकाल, उद्योग स्थापना, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे, जल–जंगल–जमीन का आदिवासियों के हाथ से छीन लेना, बाजारवाद, विश्वीकरण, शहरीकरण इत्यादि प्रस्तुति के मुख्य बिन्दु थे।

## दूसरा दिन

**सत्र विषय – सूरते हाल – विश्लेषण व समूह चर्चा**

पिछले दिन हुई प्रस्तुति व चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संदर्भ व्यक्ति ने कुछ सवाल रखे और सूरते हाल सामाजिक परिवेश का विश्लेषण प्रस्तुत किया।

- हमारे परिवेश में व्याप्त तनाव का स्वरूप व प्रकृति क्या है?
- उसके जिम्मेदार तत्व कौन से है? कारण क्या है?
- इस तनाव का मुकाबला करने वाली शक्तियां कौन–कौन सी है?
- इन शक्तियों की कार्यनीति क्या है?

**तनाव जो हमारे परिवेश में व्याप्त है (स्वरूप प्रकृति)** – जातीय तनाव, संपत्तिगत, धार्मिक (सांप्रदायिक) आदिवासी, गैर आदिवासी, धार्मिक कट्टरता, भूमि को लेकर तनाव, भूमि अधिग्रहण, पुरुष प्रधान सोच, शराब, अमीरी–गरीबी, दस्यु, पानी, समान कार्य के लिए समान वेतन, जल, जंगल, जमीन, विस्थापन, धर्म परिवर्तन, बेरोजगारी, गरीबी

**जिम्मेदार तत्व** – राजनैतिक स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, बिचौलिया, धर्म के ठेकेदार, पितृसत्ता, बाजारीकरण, सत्ता की होड़, यौनिकता पर नियंत्रण, बेरोजगारी, धर्म के ठेकेदार, भ्रष्टाचार, जमीनदारी, आर्थिक संसाधनों की कमी।

**मुकाबला करने वाली शक्तियां** – मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग, महिला संगठन, राजनैतिक शक्तियां, स्वयं सेवी संगठन, जन आंदोलन, शिक्षण संस्थाएं।

**कार्यनीति** – संगठन निर्माण, संवाद, जन आंदोलन, नारीवादी महिला आंदोलन, जन जागरण, अभियान, पर्चा लेखन व वितरण, जनसंपर्क, एकजुटता, प्रचार, प्रसार, शिक्षा का प्रसार आदि।

**निष्कर्ष के बिन्दु**

- अपने परिवेश में व्याप्त समस्याओं व तनावों को कारक, कारण, मुकाबले की शक्तियों इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण का मौका मिला।
- हँलाकि अपने अपने क्षेत्रों में तनाव व समस्याओं के बारे में सभी को जानकारी थी परन्तु इस अभ्यास के पहले कभी भी स्थिति को क्रमबद्ध तरीके से नहीं देखा था।
- समस्याओं व तनावों के आपसी अंर्तसम्बन्धों को समझने का मौका मिला।
- सत्ताधारी और सत्ताहीनों के बीच व्याप्त संघर्ष और स्पष्ट हुआ।
- विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों की समस्याओं व इनका आपसी अंर्तसम्बन्ध देखने को मिला।
- विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही समस्याओं से जूझने की रणनीति बनानी होगी।
- इस पूरे अभ्यास से तनावों की प्रकृति, उनके जिम्मेदार तत्व व उनसे मुकाबला करने वाली शक्तियों के बारे में व उनके द्वारा किस तरह कार्य की रणनीति तैयार होती है यह सीखने को मिला।

**सत्र विषय – सांप्रदायिकता और कट्टरवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

पिछले सत्र में जिन तनावों व समस्याओं का विश्लेषण किया गया वे सभी किसी न किसी रूप में धर्म से अवश्य ही जुड़ते थे। इन सबके पीछे की शक्ति धर्म की अवधारणा ही है, चाहे वह अपनी मूल अवस्था में हो या समाज के प्रभुत्वकारियों द्वारा व्यख्यित। इसके साथ ही चर्चा से यह भी स्पष्ट हुआ कि इन सभी समस्याओं का अंर्तसम्बन्ध न केवल व्यवहारिक पक्ष में झलकता है बल्कि ये वैचारिक रूप से भी आपस में बहुत गहरे जुड़े हैं और एक व्यवस्था के अंर्तगत किस तरह एक दूसरे में अंतर्निहित शोषण व तनाव को पोषित करते हैं।

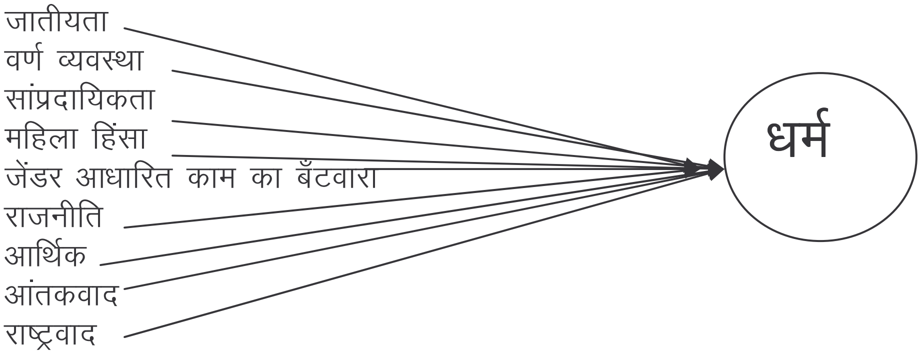


धर्म की अवधारणा पर और गहरी चर्चा के उद्देश्य से प्रतिभागियों को 'उनके लिए धर्म की परिभाषा क्या है' इसे व्यख्यित करने का अभ्यास करवाया गया। प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत परिभाषा की कुछ झलकियाँ।

- धर्म से आशय है किसी विचारधारा में विश्वास जिसकी रीति–रिवाजों द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है।
- कुछ ऐसे नियम जिनके पालन से एक प्रभाव उत्पन्न होता है जो किसी खास समुदाय को दिशा निर्देश देता है, जिससे कुछ खास लोगों के हित/लाभ जुड़े होते हैं।
- धर्म किसी चालाक व्यक्ति द्वारा बनायी गई एक साजिश है जिसकी आड़ में लोगों पर दबाव बनाते रहो और जिसकी कोई जवाबदेही न हो।
- आस्था या विश्वास ही धर्म है।
- धर्म वह है जो किसी को नुकसान न पहुंचाये तथा सभी को बराबरी का हक देता है। समान न्याय व्यवस्था की बात करता है। किसी को ऐसी चीज या शर्तों के लिए बाध्य न करे जो दूसरों को नुकासान पहुंचाये।
- धर्म एक विचार है जो हमारी सोच, अस्तित्व और रहन–सहन पर प्रभाव डालता है। यह कोई कसौटी नहीं होनी चाहिए जिसपर किसी का आचार विचार परखा जाए।
- पुराने जमाने के शक्तिशाली पुरूषों ने जो किताबों में लिखा है और उसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने में किया तथा उसे ग्रंथ या वेदों का नाम दिया गया है। उन ग्रंथों की बातों को ही कहा गया है कि आपको ग्रंथ के अनुसार चलना है। उसी को धर्म कहते हैं।

**सत्र विषय – सांप्रदायिकता और कट्टरवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

संदर्भ व्यक्ति सलिल मिश्र ने सत्र की शुरूआत करते हुए कुछ शब्दों जैसे बुनियादपरस्ती, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीयतावाद, आंतकवाद व पितृसत्ता की राजनीति पर चर्चा की और सांप्रदायिकता और कट्टरवाद के इतिहास से इनके अंर्तसंबन्धों पर रोशनी डाली। सांप्रदायिकता की परिभाषा के रूप में संदर्भ व्यक्ति ने सांप्रदायिकता की प्रक्रिया को तीन चरणों में प्रस्तुत किया –

- ये मानना कि किसी खास सम्प्रदाय की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित एक ही है
- ये हित दूसरे के धर्म से अलग होते हैं
- ये सारे हित न सिर्फ अलग हैं बल्कि इनमें परस्पर टकराहट की स्थिति होती है

इन तीनों चरणों में व्यक्त की गई भावनाओं को सन् 1900 के शुरूआती हिस्से में चरण दर चरण भारतीय राजनैतिक इतिहास में भली भाँति देखा जा सकता है। पहला चरण तब दिखाई दिया जब इस दौर के सक्रिय क्रांतिकारी नेताओं की पहचान उनके धर्म से ज्यादा होने लगी। नये नये धार्मिक राजनैतिक संगठनों का जन्म इस दौर में इसका उदाहरण हैं। हँलाकि इस चरण में विभिन्न धार्मिक दलों के बीच कोई हिंसक घटनायें नहीं हुई परन्तु अपने धर्म के मूल जैसे 'वेद पुराणों' की ओर वापस जाना और 'कुरान के हिफाज़त' में जाना इत्यादि ज़रूर था।

1920 और 1930 के आरम्भ में दूसरे चरण की झलक दिखाई देती है। इस चरण में हिन्दू और मुसलमान के बीच कठोर विभाजन दिखाई देता है कि ये केवल एक दूसरे से फर्क ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भिन्न होने के नाते एक दूसरे के प्रति समझ भी नहीं है।

सन् 1930 के अंत तक आते आते ये विभेद और भी मुखरित हुआ। हिंदू मुस्लिम अलगाव की भावना इस कदर फैली कि राजनैतिक चुनावों के दौरान भिन्न धार्मिक पहचान के आधार पर इलेक्टोरेट की मांग की गई ताकि 'अपने' धर्म के प्रतिनिधि 'अपने' लोगों के हितों का ध्यान रख सकें।

सन् 1857 की जनगणना के आंकडे भारतीय संस्कृति की विविधता का अंत थी जहाँ प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए लोगों की मुख्य व मुखरित धार्मिक पहचानों के आधार पर समूहों में बांट दिया। इस प्रक्रिया में कई क्षेत्रों में प्रचलित हिंदू मुस्लिम की साझी धार्मिक पहचानें भी विलुप्त हो गईं जो इस जनगणना के पहले अपने आपको किसी एक धर्म से बंधा हुआ नहीं देखती थीं। वीर सावरकर की किताब 'हिंदू कौन है?' और गोखले के विचारों ने कई सांप्रदायिक संगठनों को बल दिया।

आजादी के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बारे में बातचीत की गई और देखा गया कि हर हिंसा के पीछे राजनैतिक और आर्थिक कारण निश्चित रूप से था।

🏳1947–1950 आजादी के बंटवारे के बाद के सांप्रदायिक दंगे – उत्तरी प्रदेश खासतौर से प्रभावित रहे
🏳1957–जमशेदपुर – *पहले टाटानगर कहा जाता था, मजदूर युनियन और फैक्ट्री मालिकों के बीच विवाद शुरू हुआ और मजदूरों की मांगों को कुचलने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। मजदूर युनियन का नेता बांग्लादेशी मुस्लिम था जिसे बाद में वापस बांग्लादेश जाना पड़ा।*
🏳1961–जबलपुर – शुरूआत हिंदू मुस्लिम लडके और लड़की के बीच प्रेमसंबन्धों से हुई थी। जबकि इसके पीछे की सच्चाई यह थी कि मध्य प्रदेश में बीड़ी के कारोबार में मुस्लिम समुदाय आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे थे। यह सांप्रदायिक हिंसा मुस्लिम समुदाय से उनकी आर्थिक सबलता छीनने की थी।
🏳1965–1969 गुजरात
🏳1964–कलकत्ता, रांची और राउरकेला
🏳1970–भिवन्डी महाराष्ट्र
🏳1992–गुजरात
🏳1984–सिक्ख जनसंहार
🏳2002–गुजरात जनसंहार

## तीसरा दिन

**सत्र विषय – धर्म कट्टरवाद की ओर कैसे बढ़ता है, महिलाओं व पुरूषों पर धार्मिक कट्टरवाद का प्रभाव**

पिछले दिन की चर्चा को आगे बढते हुए तत्कालीन समय में धार्मिक आस्था कट्टरवाद का शक्ल कैसे ले लेती है पर चर्चा की गई। प्रक्रिया स्वरूप चार छोटे छोटे समूह बनाये गए और चर्चा कर सामूहिक प्रस्तुतिकरण के लिए कहा गया।

### चर्चा विश्लेषण

- जब एक धर्म के अनुयायियों को लगता है कि उनके धर्म का अस्तित्व खतरे में या उसकी अपनी स्थिति अन्य धर्मों की तुलना में कमजोर हो रही है।
- व्यक्तिगत समस्या को धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है
- धर्म के अनुयायियों के अंदर सांप्रदायिकता के भाव पैदा होते हैं जिससे वे अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठता से यहाँ तात्पर्य है–दो धर्मों में कट्टरवाद भरी टकराहट पैदा करना।
- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक हितों की प्राप्ति के लिए संसाधन व सत्ता का प्रयोग करते तथा पुरुषों में पितृसत्ता को बढ़ाते हैं।
- रीति–रिवाज क्रिया कांड करना दूसरे धर्म को नीचा दिखाना
- संस्कृति की शुद्धता बनाये रखना

**उदाहरण – राष्ट्रीय स्वंय सेवी (आर.एस.एस) वालों ने अपनी पत्रिका पंचजन्य में हिंदू को हिंदु कर दिया और शिवसेना बालठाकरे ने स्तान को स्थान कर दिया तो हिन्दुस्थान हो गया। इस दल के वक्तव्य और पत्रिका धीरे धीरे इस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं कि भारत सिर्फ हिंदूओं का देश हैं जहाँ अन्य धर्म को मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।**

### सांप्रदायिकता का कुछ खास परिस्थितियों में हमारे जीवन में कैसे असर पड़ता है?

चर्चा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक और सामूहिक अभ्यास करवाया गया जिसमें प्रतिभागियों को छोटे छोटे समूह में बंटकर चर्चा करनी थी कि 'आम समय या शांति के समय में धार्मिक कट्टरवाद का महिला पुरुष पर क्या असर पड़ता है।

### चर्चा विश्लेषण

हँलाकि महिला और पुरूषों दोनों पर ही कट्टरवाद का असर होता है परन्तु महिलाओं पर संस्कृति और परम्परा के नाम पर धार्मिक रीति रिवाज़ों की पाबन्दियाँ कठोर और कट्टर होती हैं।

- पहरावे से अच्छी महिला की छवि तय करना
- गतिशीलता पर नियंत्रण
- पुरुष की सम्पत्ति, शिक्षा पर नियंत्रण
- महिला का शरीर वस्तु के रूप में
- महिलाओं द्वारा पुरूषों के लिए व्रत/उपवास रखना
- रीति–रिवाज का पालन जो पुरूषों को समाज में उच्च स्थान देते हों
- दाह संस्कार का हक सिर्फ पुरुष को ही
- महिलाओं पर काम की जिम्मेदारी
- महिलाओं का समाज में दोयम स्थान जैसे माहौल का निर्माण परिवार से ही
- पितृसत्ता को चुनौती देने वाले पुरुष पर दबाव
- कट्टरवादी मान्यताओं को और मजबूत करना व अन्य कारकों के साथ मिलकर महिला हिंसा को जायज ठहराना।

इस सबसे स्पष्ट रूप से पता चला है कि राज्यसत्ता के अलावा भी कई ऐसी सामाजिक संरचनायें हैं जो अदृश्य रूप से कट्टरवाद की पृष्ठभूमि तैयार करती रहती हैं चाहे वह परिवार हो, शिक्षा संस्थान या फिर मीडिया। इसलिए शांत दिखने वाला समय वास्तव में धीरे धीरे कट्टरवाद का बीज बोता रहता है और किन्हीं खास परिस्थितियों में सांप्रदायिकता के रूप में उभरता है। अतः सांप्रदायिकता की स्थिति अचानक नहीं होती इसका हम सबके जीवन पर असर है जिसे गहराई से महसूसने की आवश्यकता है। सत्र में प्रतिभागियों को आत्म विश्लेषण का भी मौका मिला कि हम भी किस तरह धार्मिक कट्टरवाद के भुक्तभोगी और इसके बढ़ावे का जिम्मेदार कारक बन जाते हैं। चर्चा में सांप्रदायिकता और महिला हिंसा का गहरा जुड़ाव स्पष्ट हुआ।

### सत्र विषय – कट्टरवाद का विश्वीकरण और पितृसत्ता से अंर्तसंबन्ध

संदर्भ व्यक्ति कल्याणी मेनन सेन ने सत्र की शुरूआत एक अभ्यास से की। इस अभ्यास में प्रतिभागियों को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर पिछले दस सालों में किसी सार्वजनिक घटना को बांटने को कहा गया जो धार्मिक कट्टरवाद के कारण उत्पन्न हुई हों।

**प्रतिभागियों के व्यक्तिगत अनुभव –**

- कब्रिस्तान को लेकर–गांव/जौनपुर
- पुलिस बनाम महिला संस्था गांव स्तर (शराब)

- ताजिया – महावोरी झण्डा (जिला)
- मुजफ्फरनगर कांड (राज्य/देश)
- गुजरात के प्रभाव/रांची झारखंड, राजस्थान
- जाति पंचायत की सजा, मुरैना मध्य प्रदेश
- वोट को लेकर हिंसा, उत्तर प्रदेश
- मस्जिद को लेकर हिंसा, उत्तर प्रदेश

अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभागियों के उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटा गया तथा तीन विषय – **धर्म व धार्मिक कट्टरवाद**, **आदिवासी और गैर आदिवासी** और **राजनैतिक चुनाव**, दिए गए और इन विषयों के इर्द गिर्द निम्न बिन्दुओं के आधार पर एक कहानी तैयार करने को कहा गया।

**धार्मिक कट्टरवाद के कारण कोई घटना कैसे –**

- **शुरू होती है/छिड़ती है**
- **लोगों की जानकारी में कैसे आती है**
- **आग मे घी डालने का काम कौन करता है**
- **घटना को लम्बे समय तक चालू रखने में किसकी भूमिका रहती है**

समूह चर्चा के उपरांत प्रतिभागियों द्वारा समूह का प्रस्तुतीकरण किया गया। तीनों प्रस्तुतीकरण में कुछ मुख्य बिंदु समान रूप से दिखाई दिए।

- आर्थिक लाभ
- सत्ता
- प्रशासन की भूमिका
- असुरक्षा
- संसाधनों पर नियंत्रण
- मीडिया की भूमिका
- धार्मिक कट्टरवादी सोच
- प्रचार प्रसार में नई तकनीकी का प्रयोग
- बाजारीकरण
- हिंसा

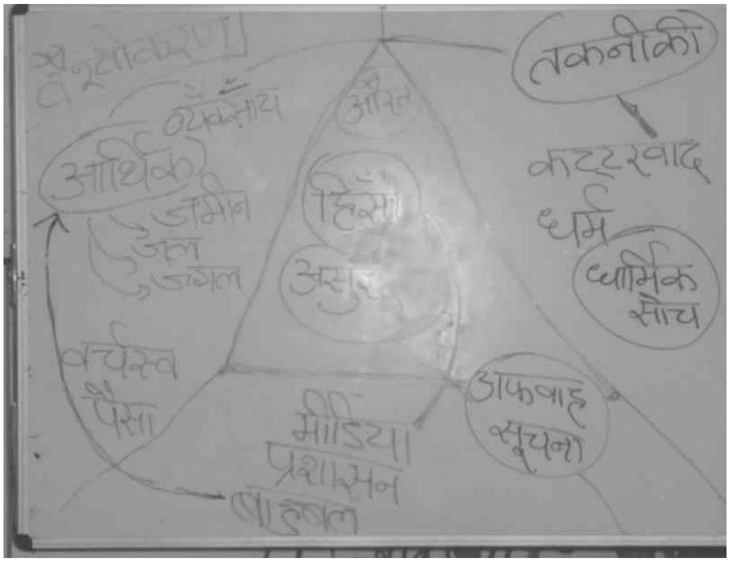


प्रस्तुतीकरण के उपरान्त उपरोक्त विषयों पर और समझ बनाने के लिए तीनों प्रस्तुतीकरण में जो मुख्य बिंदु निकले उनके अंर्तसंर्बन्धों को प्रस्तुत किया गया। निष्कर्ष स्वरूप यह समझ बनी कि चाहे चुनाव और राजनीति का मुद्दा हो, आदिवासी, गैर आदिवासी का मुद्दा हो या फिर धार्मिक कट्टरवाद का मुद्दा हो सभी का मकसद आर्थिक लाभ है और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए धर्म की आड़ लेकर संसाधनों पर नियंत्रण किया जाता है और उस नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए बाहुबल का प्रयोग किया जाता है।

धर्म का विश्वीकरण, महिला हिंसा, पितृसत्ता से गहरे अंर्तसंबन्ध को और गहराई से समझने के लिए रात्री के सत्र में पिता, पुत्र और धर्मयुद्ध फिल्म दिखाई गई। आंदन पटर्वधन की यह डॉक्यूमेंटरी फिल्म 1993 के बम्बई बम कांड, रूपकंवर के सती होने की घटना और भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य में सभी धर्मों में अंर्तनीहित महिला के दोयम दर्जे इत्यादि को दर्शाती है।

## चौथा दिन

पिछले दिन दिखायी गयी फिल्म पिता, पुत्रा, धर्म–युद्ध पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया।

- धर्म गुरूओं और राजनेताओं की सांठ गांठ सांप्रदायिकता का ज़हर फैलाती है।
- सती प्रथा का निर्वाह वास्तव में एकल महिला को खत्म करने की साजिश है जिसके लिए धार्मिक रीति रिवाज का सहारा लिया जाता है जिसमें परिवार और समाज दोनों ही शामिल हैं।
- शादी की संस्था में भी गैर बराबरी है क्योंकि इसके मूल में ही औरतों का दर्जा बराबरी का नहीं है, पुरुष को परमेश्वर मान जाता है और औरत उसकी सेविका।
- शादी की संस्था में बदलाव की जरूरत है।
- बाजार भी अपने उत्पाद को लेकर धर्म और संस्कृति का सहारा लेता है।
- धार्मिक त्योहारों में महिलाओं को सजावट की चीज और पुरुषों को श्रेष्ठ रूप में पेश किया जाता है। ऐसी छवियाँ हिंसा को बढ़ावा देती है।

- गणेश व कृष्ण रथयात्राओं में पहलवानों का बाहुबल प्रदर्शन और ताज़ीया में तलवारअंदाजी हिंसा का उत्सव मनाने का प्रतिरूप है। नवयुवकों को व्यवस्थित तरीके से धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
- तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी अंधविश्वासों की गिरफ्त में जकड़े जा रहे हैं। पुत्र की चाह के लिए वैज्ञानिकों, शिक्षकों व डाक्टरों का दक्षिण भारत के एक मंदिर में जाकर कर्मकांड करना इसका जीवन्त उदाहरण हैं

**सत्र विषय – धर्म व कट्‌टरवाद और महिला मुद्‌दे का अंर्तसंबंध**

पिछले सत्रों में प्रतिभागियों ने देखा कि धर्म का लोगों के जीवन पर क्या असर है और यह असर कितना जटिल हो जाता है जब धर्म का गठबंधन अन्य संरचनाओं और सामाजिक कारकों के साथ हो जाता है। अक्सर ही यह सुनने व पढ़ने को मिलता है कि धर्म सभी प्राणीयों को समान रूप से देखता है। धर्म के मूल में स्त्री और पुरूष दोनों को बराबरी का दर्जा है। इस सत्र में यह देखने की कोशिश की गई कि खासतौर से महिलाओं का धर्म में क्या स्थान है। प्रतिभागियों ने छोटे छोटे समूहों में बंटकर इसपर चर्चा की और प्रस्तुतिकरण किया।

- प्रतिभागियों द्वारा कुछ धर्म ग्रंथों का उल्लेख किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से महिलाओं की छवि बहुत ही नकारात्मक है। रामचरितमानस के एक दोहे में कहा गया है कि औरतों में आठ अवगुण – दुस्साहस, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच (अपवित्र), अदाया, झूठ, हमेशा विद्यमान रहता है।
- हर धर्म के अनुसार औरत के तीन रूप हैं – देवी, मोहित करने वाली और दासी।
- औरत वंश वृद्धि व यौन सुख का साधन है।
- पति के प्रति निष्ठा और उसकी सेवा ही पत्नी का प्रथम कर्तव्य और धर्म है।
- रीति रिवाजों में पुरूषों का महिमा मंडन और औरतों को निम्न स्थान दिया गया है।
- औरत महावारी और प्रसव के दौरान अपवित्र है, इस दौरान उसका धर्मस्थल, धर्मग्रंथों से दूर रहना अनिवार्य है।

**विश्लेषण –**

सभी समूहों के प्रस्तुतीकरण के बाद धर्म में औरत स्थान की समग्र रूप में देखने की कोशिश की गयी।

- सभी धर्मो को यदि बारीकी से देखा जाए तो धर्म बहुत पितृसत्तात्मक है जो महिला को पुरूष की सम्पत्ति के रूप में देखता है। प्रस्तुतिकरण में धर्म में महिला के स्थान से संबन्धित जितने भी उदाहरण दिए गए उनके तीन पक्ष सामने उभर कर आये – वैचारिक, व्यवहारिक और इन विचारों और व्यवहारों का सर्मथन करने वाली सहयोगी संस्थायें।

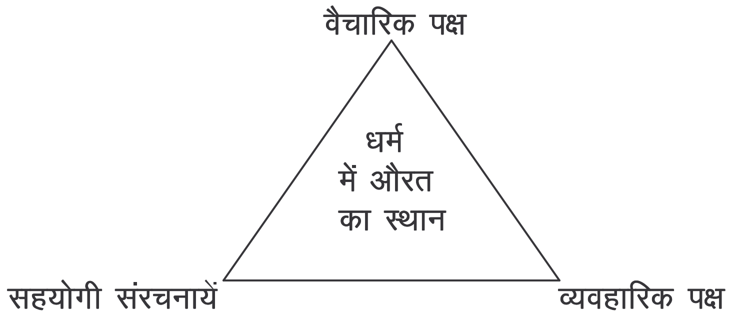

**वैचारिक पक्ष** – धर्म सबसे श्रेष्ठ है धर्मग्रंथों में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। कोई अदृश्य शक्ति इस संसार को चला रही है जिसे पुरूष के रूप में ही देखा जाता है। पुरूष मानक है। उस शक्ति ने ही पुरूष को धर्म के संरक्षक व प्रचारक के रूप में चुना है। जिनका सीधा सम्पर्क उस शक्ति से है। महिलायें अपवित्र हैं उनका मोक्ष पुरूष के माध्यम से ही संभव हैं। अपने पति की सेवा ही उनका धर्म है।

**व्यवहार पक्ष** – विभिन्न रीति रिवाज, अंतिम संस्कार की परंपरा में महिलाओं को शामिल न करना, पुरूषों के लिए व्रत उपवास, पुरूषों को कई शादी की व्यवस्था, शादी के अंर्तनीहित गैरबराबरी, महिला की यौनिकता पर नियंत्रण, सधवा और विधवा के बीच विभेद, सती प्रथा इत्यादि समाज के कई नियम हैं जो धर्म के आवरण में वैध ठहराये जाते हैं।

**सहयोगी संरचनायें** – मंदिर, मस्जिद, बाजार, मीडिया, कानून, राज्यसत्ता, शिक्षा और परिवार सभी धर्म से प्रेरित होने के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं।

- ये धर्म, संस्कृति बनाये ही गये है, महिलाओं के ऊपर जुल्म, शोषण करने के लिए। अनेकों रीति–रिवाज में बांध दिया गया कि वे कभी भी सिर न उठा सके, अगर कही भी कोई महिला कुछ कहती है तो उसे, धर्म, संस्कृति का हवाला देकर दबा दिया जाता है।

- जो नियम बनाये गये हैं वे पुरुषों ने अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभ के लिए बनाये हैं और उसी नियम को धर्म का रूप दिया जाता है और महिलाओं पर पूर्ण नियंत्रण किया जाता है। यह धर्म का ही प्रभाव है कि समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुष की तुलना में सबसे निचले पायदान पर है।

- धर्म में महिलाओं की दोयम छवि सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को असुरक्षित करती है। उन्हें दूसरों पर आश्रित तथा सभी प्राकृतिक व भौतिक संसाधनों से दूर किया जाता है। महिलाओं की स्थिति के लिए धर्म तो जिम्मेदार है ही साथ–साथ बाजार, मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं हैं जो अपने मुनाफ़े के लिए निरन्तर रूढ़िवादी सिद्धांतों को भुनाता है।

### धर्म को चुनौति देने में महिला आंदोलन की भूमिका

सत्र की शुरूआत एक खेल अभ्यास द्वारा किया गया जिसमें प्रतिभागियों को छोटे छोटे समूहों में बंटकर महिला आंदोलन से जुडे कुछ प्रश्नों को तैयार कर आपस में पूछना था ताकि समूह की इस विषय पर कितनी जानकारी है यह जाना जा सके। अभ्यास के दौरान पता चला कि समूह की इस विषय पर जानकारी बहुत सीमित थी और इसपर रोशनी डालते हुए संदर्भ व्यक्ति ने महिला आंदोलन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की।

भारतीय संदर्भ में आजादी के बाद सत्तर के दशक में महिला आंदोलन का पुर्नजन्म हुआ। 1974 में प्रकाशित 'समानता की ओर' रिर्पोट आंदोलन का एक अभिन्न पड़ाव है जिसमें एक महिला समीति द्वारा भारत में महिलाओं के दर्जे, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के स्तर पर विस्तार से आलोचना की गई थी।

सत्तर के दशक में आंदोलन ने नजरिए में बदलाव को प्रस्तुत किया और औरत की पारम्परिक छवि को चुनौति देते हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्ष सामने रखे –

- प्राकृतिक/जैविक फर्को पर सवाल उठाना
- सामाजिक संरचनाओं पर सवाल उठाना

- महिलाओं को समाज में उत्पादक की तरह देखना
- घर परिवार और शरीर पर केन्द्र

**महिला आंदोलन के मुख्य पड़ाव**

- दहेज विरोधी आंदोलन, 1979
- मथुरा बलात्कार केस, 1980
- सीक्खों के खिलाफ दंगे 1984
- नेट–एन अभियान, 1985
- शाह बानो केस, 1985
- रूप कंवर केस, 1987
- लीला और उर्मिला केस, 1987
- लिंग जांच अभियान, 1987
- भटेरी, बलात्कार कांड, 1991
- 73 संशोधन, 1992
- गुजरात जनसंहार 2002

सीक्खों के खिलाफ दंगें, शाहबानो केस, रूप कंवर केस और गुजरात जनसंहार सीधे सीधे धार्मिक और राजनैतिक षंडयन्त्र के परिणाम थे। इन सभी घटनाओं में महिलाओं पर होने वाले यौनिक, शारीरिक और मानसिक अत्याचारों को सामने लाने में और पीड़ित समुदाय के साथ जुड़कर काम करने में महिला समूहों की अग्रणी भूमिका रही है। सीक्ख दंगे और गुजरात जनसंहार के बाद बने एकता मंच के द्वारा महिला समूहों की अगुवाई में ही शांति प्रचार कार्यक्रम और लोगों के मानव अधिकारों की लडाई की योजनायें कार्यान्यवित हुईं।

**चुनौति**

- धार्मिक कट्रपंथियों का मनमानापन
- गैर राजनीतिकरण / एनजीओआईजेशन
- भाषा का उचितपना

**आशा**

- जेंडर समानता लोगों में संचेतना
- घरेलू हिंसा, यौनिक उत्पीड़न को व्यक्तिगत मुद्दा न देखना
- अन्य मुद्दों के साथ जुड़ाव
- नारीवादी एक्टिविज़्म का विश्वीकरण

**सत्र विषय – भारतीय परिवेश में समन्वयक तत्व (जोड़ने वाले) भूमिका में हमारी कार्यनीति**

**अभ्यास हमारे सपनों की दुनिया** – महिला आंदोलन पर चर्चा के अनुभवों को आगे लेते हुए अगले अभ्यास के रूप में व्यक्तिगत रूप से हमारी इस मुद्दे को आगे ले जाने की क्या योजना होगी इसपर सहभागियों से बातचीत की गई। इसके लिए एक अभ्यास किया गया जिसमें संदर्भ व्यक्ति ने सभी प्रतिभागियों से पूछा कि हम जिस दुनिया में हैं वह गैरबराबरियों, अन्याय व शोषण से भरी है जिसे हम सभी बदलाना चाहते हैं तो हमारी बदली हुई दुनिया कैसी होगी? प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी अपनी कल्पना को चार्ट पर लिखा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इसे साकार करने की कार्यनीति क्या होगी?

**शिक्षित समाज**
**अमन चैन**
शोषण मुक्त
अपने तरीके से जीने का अधिकार
घरेलू समस्याओं से मुक्ति का अधिकार
'निणर्य लेने की स्वतंत्रता
एक ऐसी दुनिया जहां अमीर गरीब सभी को
समानता का अधिकार दुनिया हिंसा मुक्त
समाज
स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार
मानवीय और भयमुक्त
संवेदनशील समाज
वातावरण सभी के बीच एकता
हिंसा मुक्त समाज

**सपने को साकारा करने की कार्यनीति –समूह प्रस्तुति**

प्रतिभागी अपने अपने राज्यों के अनुसार बंट गए और उन्होंने अपनी कार्यनीति प्रस्तुति की।

- अपनी सोच बदलना, कार्यक्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करना
- अपने आप में बदलाव, फिल्म शो, नाटक, सत्ताधारी लोगों से संवाद
- समुदाय के साथ मिलकर मुद्दे पर समझ बनाना
- जिला स्तर पर कार्यशाला प्रशिक्षण एवं इस कार्य पर शोध
- प्रेरक के रूप में, अपनी संस्था के साथ, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यशाला करना, क्षेत्र स्तरीय जागरूकता अभियान, मंथन, जनमत तैयार करना, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना।
- अपनी सोच बदलना और अपने जैसे समान विचारों वाले लोग एकत्र का कार्य गतिशील करना।
- नेटवर्किंग, विश्वीकरण का प्रभाव समाज महिलाओं के अधिकार के लिए, जनसंगठन का निर्माण, एन.जी.ओ. को ट्रेनिंग जिला स्तर पर, नुक्कड़ नाटक, नक्सल लीडर, लिखित रूप में मीडिया एवं फिल्मों द्वारा।

**विश्लेषण**

संदर्भ व्यक्ति ने चर्चा को समेटते हुए यह स्पष्ट किया कि धार्मिक कट्टरवाद के मुद्दे के वैचारिक, व्यवहारिक व मददकारी संरचानाओं, इन तीनों पक्षों पर काम करना आवश्यक है। कार्यनीति के लिए जितने भी माध्यम/उपकरण प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित किये गए थे उन्हें त्रिकोण विश्लेषण औजार के

माध्यम से तीन पक्षों में बांटा।

**समझ तैयार करना—सूचना व तथ्य पंहुचाना**
**माध्यम—पर्चा, पोस्टर,दीवार लेखन, कार्टून**
**कॉमिक्स, बुकलेट, जनसुनवाई इत्यादि**

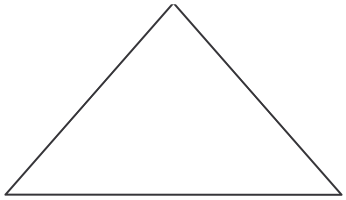

**संवेदनशीलता निर्माण—नाटक,**
**मीडिया, फिल्म, जनसुनवाई**

**कार्य में उतारना—नेटवर्कींग, पैरवी, जत्था,**
**रैली, सम्मेलन, पंचायत इत्यादि**

- समझ तैयार करना, संवेदनशीलता निमार्ण और कार्य योजना के प्रयास प्रभावकारी असर के लिए एक साथ करने होंगे।
- अपने क्षेत्र की सामाजिक परिस्थियों, मुद्दे की संगीनता इत्यादि देखकर सबसे प्रभावकारी माध्यम का चयन करना होगा।

रात्री के सत्र में गुजरात में हुए 2002 में जनसंहार पर बनी फिल्म परजानिया दिखाई गई। गुजरात के दंगे की आग में बहुत से लोगों की जानें गईं, बलात्कार और हिंसायें हुईं, परिवारों से उनके परिजन बिछड़ गए। फिल्म ऐसे ही एक परिवार से बिछडे छः साल के बच्चे की सच्ची घटना पर आधारित है जिसके लौट आने की उम्मीद में आज भी यह परिवार आस लगाये बैठा है।

## पाँचवा दिन

गुजरात में हुए जनसंहार के प्ररिप्रेच्छ में सांप्रदायिकता के मुद्दे पर समझ, संवेदनशीलता और कार्यनियोजन के अभ्यास के लिए प्रतिभागियों को तीन समूहों में बंटकर निम्न गतिविधियों पर समूह कार्य करने को कहा।
1 — पैरवी
2 — जनसुनवाई
3 — नारा, पर्चा

### समूह प्रस्तुति

*पैरवी*
**ज़ाहीरा शेख केस**
- **पीड़िता से संपर्क करना, मदद (न्याय) दिलाने का विश्वास दिलाना**
- **घटना की पूरी जानकारी लेना, संबन्धित दस्तावेज़ इकट्ठा करना**

- आसपास के लोगों से माहौल बनाना व घटना के बारे में समझ बनाना। पीड़िता में सुरक्षा की भावना लाना
- अन्य महिला संगठनों को जोड़ना
- पुलिस प्रशासन से पीड़िता को मदद एवं सुरक्षा दिलाने का दबाव बनाना
- संबन्धित अदालत में पीड़िता के साथ जाकर प्राईवेट वकील से बातचीत
- एक प्रार्थना पत्र – प्रदेश/राष्ट्र के सभी उच्च अधिकारियों को रजिस्टर्ड पोस्ट
- महिला आयोग का सहयोग

*जनसुनवाई – एक नाटिका के रूप में प्रस्तुतकरण*

- घटना के बाद पीड़ित समुदाय से मिलने टीम पँहुची
- समुदाय से घटना का ब्योरा लिया
- उनकी आपबीती सुनी और उसका विस्तार से दस्तावेजीकरण किया
- महिला आयोग, प्रत्रकार, मानव अधिकारी, रिटार्यड न्यायधीश से संपर्क किया और जनसुनवाई में शामिल होने को आंमत्रित किया
- जनसुनवाई में आये लोगों को घटना की पृष्ठिभूमि दी गई और पीड़ितों को अपने साथ हुई घटनाओं का ब्योरा देने को कहा गया।

*नारे*

- हर घर की बेटी करे पुकार, सुरक्षा है हमारा अधिकार
- जब घर आंगन हो असुरक्षित, कैसे होंगे हम सुरक्षित
- जीवन दिया तो क्या दिया, जब हक से जीना छीन लिया
- जिसने दिया जीवन संसार, उसी ने किया अस्मत पर वार
- जीवन रक्षक बन गया भक्षक

*पर्चा – महिला सुरक्षित कहाँ*

फरीदाबाद के सेक्टर 30 में पिछली शाम 3.05.07 एक 9 वर्षीय के साथ उसके पिता द्वारा बलात्कार किया गया। घटना की सूचना उसकी दादी द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई।

⇒ महिला और बच्चियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले एक माह में इस क्षेत्र में इस तरह की यह दूसरी घटना है। पिछल घटना में रजनीतिक रंग देकर बलात्कारी को छोड़ दिया गया।

⇒ पिछले एक साल में यौन हिंसा की इस राज्य में 700 घटनायें हुईं जिनमें–10 प्रतिशत परिवार के अंदर घटी।

सोचें

⇒ क्या इस तरह की घटनायें सामने नहीं आनी चाहिए?

⇒ क्या दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए?

⇒ क्या परिवार व समाज द्वारा मौन रहना सही है?

**सर्तक रहें**

- ⇒ **आत्मविश्वास, दृढ़ता लायें**
- ⇒ **दूसरों को बतायें**

**कानूनी जानकारी**

- ⇒ **इंडियन पिनल कोर्ट धारा 375/76 बलात्कार के खिलाफ**
- ⇒ **354 सामूहिक स्थान में महिला यौन उत्पीड़न**
- ⇒ **290 छेड़छेड के खिलाफ**
- ⇒ **507 कार्य स्थल पर यौन हिंसा अधिनियम**
- ⇒ **घरेलू हिंसा अधिनियम**

**संदर्भ व्यक्तियों द्वारा टिप्पणी**

- प्रतिभागियों का प्रयास सराहनीय रहा।
- नारा बहुत प्रभावकारी रहा।
- पैरवी में ध्यान रहे कि शुरू से अंत तक पीड़ित का साथ देना है। निरन्तर उसके केस की बारीकियों पर ध्यान रहे।
- यह ध्यान रहे कि अंत हमेशा सफल हो यह जरूरी नहीं है बल्कि प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है।
- जनसुनवाई के लिए ध्यान रहे कि पीड़ितों के केस की एक प्रति जनसुनवाई में आए न्यायधीश मंडल के पास भी हो ताकि वे अपनी जानकारी के लिए सवाल कर सकें और सही तथ्यों को आगे ले जा सकें।
- पर्चा बहुत लम्बा था और इसकी सार्थकता तभी है जब इसके साथ अगले कार्यक्रम का भी ब्योरा हो।
- पर्चा का मकसद दो हो सकता है एक किसी घटना के बारे में जानकारी/जागरूकता फैलाना और दूसरा किसी घटना की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर अगले कदम के लिए जनमत जुटाना।

आज का सत्र हँलाकि पूरे दिन के लिए आयोजित था परंन्तु गुर्जरों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर दिल्ली, जयपुर और गुडगाँव के इलाकों में बहुत तनाव था। रास्ते बंद किए जा रहे थे और सड़कों पर आगजनी और धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा था। ऐसे माहौल में प्रतिभागियों को जल्दी छोड़ने की व्यवस्था की गई ताकि सभी अपने गंतव्य स्थल पर सुरक्षित पहुँच जायें।

कार्यशाला का समापन दोपहर भोजन उपरांत कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में पांचवे दिन के लिए तय अभ्यास सत्र बहुत कम समय में समाप्त करना पड़ा। संदर्भ व्यक्तियों और प्रतिभागियों दोनों ने तय किया कि इसकी भरपाई हम इस कार्यशाला के फॉलोअप में करेंगे।

## प्रतिभागी सूची

नगीना और शाहजहाँ
वनांगना, बांदा, उत्तर प्रदेश
फोन न0: 05198–236985, 233080
**Email-vanangana@rediffmail.com**

नीरजा निगम
दूसरा दशक, जयपुर, राजस्थान
**Email-ddshak@dataone.in**

ऊषा और उमाशंकर
जनशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश
फोन न0: 05271–255031
**Email-jaskutiyawa@rediffmail.com**

नाहीद
प्रयत्न फॉउन्डेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
**Email-prayatafoundation@rediffmail.com**

निसार अहमद
आज़ाद शिक्षा केन्द्र, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
फोन न0: 09415315484

संगीता आलमगीर
सहभागि महिला आश्रम, पश्चिमी पंचारम, बीहार
फोन न0: 06254–247015

मेघनाथ और सुभाष
होप, राँची, झारखंड
फोन न0: 0651–2544916

परवीन
आधार सामाजिक विकास समिति, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
फोन न0: 09826742324

विमला और पर्वती
नैनीताल, उत्तराखंड
फोन न0: 09411116908

साबरा और अनुप्रिया
जागोरी, नई दिल्ली

तसलीमा और विरेन्द्र
सेवा मंदिर, उदयपुर, राजस्थान

ज्योति और राजीव
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

आशा और पद्मालक्ष्मी
अस्मिता, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

गीता
महिला समाख्या पौड़ी, उत्तराचंल

## संदर्भ समूह

### इस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी

इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी (आई.एस.डी.) का गठन दिल्ली में 2004 में किया गया था। आई.एस.डी. का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारत के हिंदी भाषी इलाकों में है लेकिन अन्य भारतीय क्षेत्रों तथा दक्षिण एशियाई देशों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह संगठन सांप्रदायिकता, जाति, लैंगिक भेदभाव, वैश्वीकरण, आणविक निशस्त्रीकरण आदि मुद्दों पर समुदाय आधारित तथा स्थानीय संगठनों के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को शिक्षण–प्रशिक्षण देता है। इन मुद्दो के इर्द–गिर्द संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर और सबसे ज्यादा स्थानीय कार्यकर्ताओं का एक अनौपचारिक नेटवर्क विकसित किया है जो लगातार संगठन के संपर्क में रहता है।

### जागोरी

जागोरी की शुरूआत दिल्ली में एक संसाधन केन्द्र के रूप में 1984 में हुई और पिछले दो दशकों में हम प्रशिक्षण, सम्प्रेषण व आलेख के ज़रिए महिला आन्दोलन की एक सशक्त कड़ी के रूप में सक्रिय हैं। नारीवादी प्रशिक्षण, कार्यशालायें, शोध, अभियान और नारीवादी पठन सामग्री का संकलन व वितरण जागोरी की मुख्य गतिविधियां हैं। इनके ज़रिए हमने महिला आन्दोलन से उभरते और हाशिये पर मौन उन सशक्त मुद्दों को नये आयाम देने की कोशिश की है जो अक्सर समाज के पन्नों पर पीछे रह जाते हैं।